नम्बर /वर्ष 869/2021 अनवानी सोहनलाल बनाम गंगाधर

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
26/7/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पर एकपक्षिय की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर छोटे रिहायशी प्लाट मात्र शपथ पत्र पर विक्रय कर रहे है प्रतिवादीगण ने राजस्व चोरी करते हुए असख्या लोगो को प्लाट काट कर बेच दिये है जिससे अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर अवाच्छित व्यक्ति अपने अपने प्लाट का मनचाहा आकर एव जगह के हिसाब से कब्जा कर लिया है चुकि उक्त खाता की भूमि अनुसूचित जाति के सदस्यों की कृषि भूमि है अन्य को पटटो पर अथवा रिहायश हेतु नही दी सकती है प्रार्थी को कृषि करने मे असुविधा होती है इसलिये प्रकरण के निर्धारण हेतु कृषि भूमि का जरिये सर्वे कमिश्नर भौतिक सत्यापन मय फोटो ग्राफस पत्रावली पर होनी आवश्यक है अतः मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित स्थल का मौका निरीक्षण करने के आदेश फरमावे। हमने वकील वादी की एक पक्षिय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के तहत खाता विभाजन एव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जो न्यायालय ने दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्ट्रर सम्मन पेश किये गये तब यह प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया है वादी का वाद खाता विभाजन का है जिसमें प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जा सकता है जिसमें मौका निरीक्षण साथ पूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है बिना किसी आधार के मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर वाद की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाना न्यायोचित नही है ना ही अतिरिक्त साक्ष्य वाद में कायम किया जाना न्यायोचित नही है। वादी का कथन है कि वादी की भूमि जो सयुक्त खाता में दर्ज पर प्रतिवादीगण ने असंख्य लोगो को शपथ पत्र /ईकरारनामा के जरिये छोटे छोटे भूखण्ड के रूप में बेचान कर दिया गया है वादी के कथनानुसार वाद भूमि कृषि भूमि ना होकर आवासीय भूमि हो चुकी है तथा वादी का यह भी कथन है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के ब्यक्ति को बेचान की जा चुकी है जब वादी स्वय स्वीकार कर रहा है कि वाद भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नही रही है छोटे छोटे भूखण्ड के रूप में परिर्वतन हो चुकी है तो खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत ही नही किया जाना चाहिये था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि जो मुश्तरका खात में दर्ज [illegible] विभाजन [illegible]ने के सम्बध में है ना की कृषि भूमि जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि में परिर्वतन कर [illegible] के सम्बध में है। पेरोकार राज [illegible] जोगीआसन न[illegible] के खसरा न0 31 की भूमि कृषि भूमि ना [illegible]कर अकृषि भूमि के [illegible] परिर्वतन हो चुकी है तथा प्लाट/मकान का निर्माण हो चुका है वादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:09:27 IST
Reason: SelfAttested

स्वय के कथन किया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि जो मुश्तरका खाता मे दर्ज थी जिसे छोटे छोटे भूखण्ड के रूप में बेचान किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि कृषि भूमि ना होकर अकृषि भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अकृषि भूमि के सम्बध में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है ना ही किसी प्रकार का सर्वे /मौका कमीश्नर नियुक्त करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादी स्वय के द्वारा कथन किया गया है कि वाद भूमि छोटे छोटे आवसीय भूखण्ड के रूप में बेचान की जा चुकी है अर्थात वाद भूमि कृषि भूमि ना होकर अकृषि भूमि है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अकृषि भूमि के सम्बध में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है वादी अकृषि भूमि के सम्बध में सक्षम न्यायलय में कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा।

A.I.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:09:27 IST
Reason: SelfAttested